RATAN ORBIT

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, जोन–6, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

पत्रांकः–जलकल/ 19 /अधि0अभि0–6/एन.ओ.सी./12–13 दिनांक: 08-4-13

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित भूखण्ड/भवन संख्याः **आराजी सं0 576,577,1082 से 1094 तथा 1113, बैरी अकबरपुर कछार, कानपुर के विरुद्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु** प्रस्तुत किये गये मानचित्र के अनुसार सीवर विकास शुल्क रु0 993540.50 चेक नं0 489236 दि0 29.03.2013 स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं रु0 993540.00 चेक नं0 741961 दि0 29.03.2013 स्टेट बैंक आफ इण्डिया मात्र क्रमशः रसीद सं0 3162/37 दि0 31.03.2013 एवं 3162/38 दि0 31.03.2013 के अनुसार भूखण्ड स्वामी द्वारा जलकल विभाग जोन–6 में जमा किया गया है अतः निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ **अनापत्ति प्रमाण पत्र** जारी किया जाता है:–

1. भविष्य में विभाग के पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से औपचारिकताएं पूर्ण कराकर ही सीवर संयोजन किया जा सकेगा।

2. विभागीय सीवर संयोजन स्थल तक संयोजन हेतु समस्त पाइप लाइन का कार्य स्वयं करनी होगी।

3. निर्माण कार्य के लिए पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। भविष्य में उक्त भूखण्ड में नियमानुसार लागू दर के अनुसार विभाग के पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से औपचारिकताएं पूर्ण कराकर जल संयोजन किया जा सकेगा।

4. निर्माण कार्य के दरम्यान निर्माण कर्ता/भूखण्ड स्वामी द्वारा विभागीय सम्पत्ति की क्षति होने पर उसकी भरपायी निर्माण कर्ता/भूखण्ड स्वामी को करनी होगी।

अधिशासी अभियन्ता
जोन–6

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
2. वित्त अधिकारी, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
3. नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण(भवन विभाग), कानपुर।
4. **भूखण्ड स्वामी मे0 महावीर सहकारी आवास समिति लि0 एवं अन्य, 109/336, आर.के.नगर कानपुर।**
5. अवर अभियन्ता, जोन–6, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
6. गार्ड फाइल।

31.3.13

अधिशासी अभियन्ता
जोन–6

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड विकास नगर

Email- kescovikasnagar @gmail.com

संख्या 1317/ई.यू.डी.डी./विकास नगर/10

दिनांक 21/12/10

कानपुर विकास प्राधिकरण
भवन विभाग,
कानपुर

विषयः <u>मानचित्र स्वीकृति के आवेदन के निस्तारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र</u> ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक डी/1056/भवन/9–10 दिनांक 11/01/10 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से भूखण्ड संख्या 576, 577, 1082 से 1094 एवं 1113 बैरी अकबरपुर कछार कानपुर का मानचित्र स्वीकृत करने हेतु विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का मानचित्र स्वीकृत करने में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

(ए.के. गौतम)
अधिशाषी अभियन्ता
न0वि0वि0 खण्ड विकास नगर

Original sent to KDA

SR NO	DESCRIPTION	BLOCK A SQ.MT	BLOCK B SQMT	BLOCK C SQMT	BLOCK D SQMT	BLOCK E SQMT	BLOCK F SQMT	BLOCK G SQMT	BLOCK H SQMT	BLOCK I SQMT	BLOCK J SQMT	BLOCK K SQMT/ DUPLEX	CLUB HOUSE	PRIMARY SCHOOL	TOTAL AREA
1	STILT PARKING	537.77	1054.39	1054.39	830.37	830.37	830.37	985.09	573.26	505.92	881.27	-	2620-64	-	**11713.84**
2	GROUND FLOOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1716	-	107.44	**1823.44**
3	FIRST FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52	1378.00	345	107.44	**9822.84**
4	2ND FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52		345	107.44	**8444.84**
5	3RD FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
6	4 TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
7	5TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
8	6TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
9	7TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
10	8TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
11	9TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
12	10TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
13	11TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
14	12TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
15	13TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
16	14TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820-07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
17	MUMTY	-	24	24	25	25	25	19	-	14.04	16.86	415	19	18	562.86
18	LIFT	9.75	9.75	9.75	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	9-75				
19	FIRE STIRECASE	19.02	15.77	15.77	15.64	15.64	15.64	16.42	14.35	-	-			-	1463.34
20	ELECTRIC ROOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	119.20
21	GUARD ROOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				18
22	COMARCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	358
23	TOTAL														128835.15
24	HIGHT	45.25 METER BLOCK A TO J													

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विवरण निम्नवत है।

कार पार्किंग कुल आच्छादित एरिया 1560

कुल टोटल यूनिट 1090

ग्रीन एरिया ए – 6482 वर्गमी0

ग्रीन एरिया बी– 2887.05 वर्गमी0

कुल ग्रीन एरिया– 9369.05

कार्यालय **मुख्य अग्निशमन अधिकारी,** **कानपुर नगर।**

पत्रांक:सीएफओ/अ0प्र0पत्र/भवन/10(30) दिनांक अप्रैल 27 2012

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक (भवन),
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

विषयः— मेसर्स श्री महावीर सहकारी आवास समिति लि0 ईटीसी0 द्वारा भूखण्ड सं0 576, 577, 1082 से 1094 और 1113, 1283एम ,1284एम, 1285 एम ब्लाक/सेक्टर एरिया बैरी अकबरपुर कछार योजना नानस्कीम में प्रस्तावित बहुखण्डीय भवन का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक डी/1056/भवन/10—11 दिनांक 12.03.12

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेसर्स श्री महावीर सहकारी आवास समिति लि0 ईटीसी0 निवासी 113/70 स्वरूपनगर कानपुर द्वारा भूखण्ड सं0 576, 577, 1082 से 1094 और 1113, 1283एम ,1284एम, 1285 एम ब्लाक/सेक्टर एरिया बैरी अकबरपुर कछार योजना नानस्कीम में प्रस्तावित बहुखण्डीय का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक है।

उक्त के कम में प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फजलगंज, कानपुर नगर द्वारा कराया जिनकी आख्या दिनांकित 25.04.12 के अनुसार, उक्त स्थल सुरक्षित पाया गया जहॉ पर अग्निशमन के वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन करते हुये अग्निशमन कार्य कर सकते हैं कोई आपत्तियुक्त तथ्य नहीं पाये गये।

प्रस्तावित भवन का अन्य विवरणः— कुल प्लाट एरिया 52765.22 वर्गमी0 है, आच्छादित भवनों का विवरण निम्नवत है। अनुमोदित कवर्ड एरियाः— **ब्लाक ए** आच्छादित स्टिल्ट फ्लोर एरिया 3599.58 वर्गमी0, आच्छादित प्रथम तल 2491.10 वर्गमी0, आच्छादित द्वितीय तल से आठवें तल तक की आच्छादित एरिया 2460.20 वर्गमी0, आच्छादित मुम्टी एरिया 75 वर्गमी0, आच्छादित लिफ्ट इन्टरनल एरिया 30.90 वर्गमी0, आच्छादित फायर स्टेयर केस एरिया 386.19 वर्गमी0 है। **ब्लाक बी** आच्छादित स्टिल्ट फलोर एरिया 1178.66 वर्गमी0, प्रथम तल 985.09 वर्गमी0, आच्छादित द्वितीय तल से सातवें तल तक प्रत्ये कतल की आच्छादित एरिया 974.79 वर्गमी0, आच्छादित आठवां तल एरिया 649.86 वर्गमी0, आच्छादित मुम्टी एरिया 19 वर्गमी0, लिफ्ट एरिया 10.30 वर्गमी0, आच्छादित फायर स्टैयर केस 147.78 वर्गमी0 है। **ब्लाक सी** आच्छादित स्टिल्ट फलोर एरिया 2781.86 वर्गमी0, प्रथम तल 2250.42 वर्गमी0, आच्छादित द्वितीय तल से सातवें तल तक प्रत्ये कतल की आच्छादित एरिया 2209.22 वर्गमी0, आच्छादित मुम्टी एरिया 57 वर्गमी0, लिफ्ट एरिया 41.20 वर्गमी0, आच्छादित फायर स्टैयर केस 336.72 वर्गमी0 है। **ब्लाक डी** आच्छादित स्टिल्ट फलोर एरिया 2357.08 वर्गमी0, प्रथम तल 1826.10 वर्गमी0, आच्छादित द्वितीय तल से सातवें तल तक प्रत्ये कतल की आच्छादित एरिया 1805.50 वर्गमी0, आच्छादित मुम्टी एरिया 38 वर्गमी0, लिफ्ट एरिया 20.60 वर्गमी0, आच्छादित फायर स्टैयर केस 220.80 वर्गमी0 है। **ब्लाक ई** डुप्लेक्स आच्छादित ग्राउण्ड फ्लोर एरिया 1957.12 वर्गमी0, आच्छादित प्रथम तल एरिया 1227.12 वर्गमी0, आच्छादित मुम्टी एरिया 416 वर्गमी0, **क्लब हाउस** आच्छादित स्टिल्ट फलोर एरिया 3620.64 वर्गमी0, आच्छादित प्रथम तल से द्वितीय तल तक एरिया 345 वर्गमी0, मुम्टी एरिया 19 वर्गमी0, **नर्सरी स्कूल** आच्छादित ग्राउण्ड फ्लोर से लेकर द्वितीय तल तक की आच्छादित एरिया 107.44 वर्गमी0, मुम्टी एरिया 18 वर्गमी0, इस प्रकार कुल आच्छादित स्टिल्ट फ्लोर एरिया 13497.82 वर्गमी0, आच्छादित भूतल एरिया 2034.56 वर्गमी0, कुल आच्छादित प्रथम तल एरिया 9932.87 वर्गमी0, कुल आच्छादित द्वितीय तल एरिया 7902.15 वर्गमी0 तथा तृतीय तल से लेकर सातवें तल तक कुल आच्छादित एरिया 7449.71 वर्गमी0, आच्छादित कुल सातवें तल का एरिया 3110.06 वर्गमी0 कुल आच्छादित मुम्टी एरिया 642 वर्गमी0, कुल आच्छादित फायर स्टेयर केस एरिया 1091.49 वर्गमी0, इलेक्ट्रिक रूम एरिया 119.20 वर्गमी0 है, कुल आच्छादित गार्ड रूम एरिया 18 वर्गमी0 कुल आच्छादित कामर्शियल एरिया 263.81 वर्गमी0 महायोग आच्छादित एरिया 75856.91 वर्गमी0 है।

<u>प्रस्तावित भवनों का अन्य विवरणः—</u>

कुल प्लाट एरिया 52765.22 वर्गमी0 है।

-: प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थायें :-

1. उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 व नियमावली 2005 के नियम 4 तथा एन0बी0सी0 2005 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 तथा मानक सं0 2190-1992 मे दिये गये निर्देशों का पालन करना सम्बन्धित का उत्तरदायित्व होगा।
2. एक अण्डरग्राउण्ड स्टेटिक टैंक क्षमता 4 लाख लीटर तथा प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक टेरेस पर 10-10 हजार ली0 क्षमता का टेरेस टैंक तथा क्लब हाउस व प्राइमरी हाउस के टेरेस पर 5-5 हजार ली0 क्षमता का टेरेस टैंक की व्यवस्था की जाये।
3. प्रत्येक ब्लाक के प्रत्ये कतल पर के ब्लाक को छोडकर स्वचालित स्प्रिंकलर की व्यवस्था करायी जाये।
4. प्रत्येक ब्लाक के प्रत्ये कतल पर फर्स्टऐड होजरील सिस्टम/लैण्डिंग वाल्व की व्यवस्था की जाये।
5. प्रत्येक ब्लाक के प्रत्ये कतल पर मानक सं0 2190-1992 के अनुसार आई0एस0आई0 मार्क फायर एक्सटिंग्यूशर की व्यवस्था की जाये तथा क्लब हाउस, इलेक्ट्रिक रूम, प्राइमरी स्कूल व जनरेटर रूम तथा मेन विद्युत स्विचों पर अलग से फायर एक्सटिंग्यूशरों की व्यवस्था की जाये।
6. ब्लाक ए से ब्लाक जे तक सभी ब्लाकों के प्रत्ये कतल पर कम्पार्टमेन्टलाइजेशन की व्यवस्था की जाये।
7. प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर ब्लाक के को छोडकर मैनुअल काल प्वाइंट इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम की व्यवस्था की जाये ।
8. प्रत्येक ब्लाक के प्रत्ये कतल पर सार्वजनिक भाषण व्यवस्था के अन्तर्गत पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था की जाये।
9. प्रत्येक ब्लाक के प्रत्ये कतल पर निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह की व्यवस्था की जाये ।
10. अग्नि से बचाव तथा निकास मार्ग की व्यवस्था की जाये।
11. गार्ड रूम के पास फायर बकेट मय स्टैण्ड के व्यवस्था करायी जाये।
12. वैकल्पिक विद्युत श्रोत के अन्तर्गत सभी ब्लाकों में जनरेटर सेट की व्यवस्था की जाये तथा सभी ब्लाकों में विद्युत वायर में क्षमता के अनुसार एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 की व्यवस्था की जाये।
13. ब्लाक ए से जे तक प्रत्येक ब्लाक में फायरमैन स्विचयुक्त फायरमैन लिफ्ट की व्यवस्था की जाये।
14. सभी ब्लाकों के प्रत्ये कतल पर वेटराइजर सिस्टम/डाउमकमर सिस्टम की व्यवस्था की जाये जिसका डायमीटर 150 एमएम से कम न हो।
15. सेट बैक अवरोध रहित रखा जाये किसी प्रकार का निर्माण न कराया जाये।
16. सभी ब्लाकों के चारों तरफ 200एम एम जी0आई0 पाइप में एक वाटररिंग की व्यवस्था करायी जाये तथा प्रत्येक 45 मी0 पर यार्ड हाइड्रेन्ट की व्यवस्था करायी जाये।
17. प्रत्येक यार्ड हाइड्रेन्ट/लैण्डिंग वाल्व के पास एक होजबाक्स तथा प्रत्येक होज बाक्स में 15-15 मी0 लम्बे दो दो होज पाइप व एक एक साधारण ब्राच पाइप की व्यवस्था की जाये।
18. सभी ब्लाकों हेतु एक मेन फायर कन्ट्रोल पैनल की व्यवस्था करायी जाये जो सभी ब्लाकों से जुड़ा हो।
19. अग्निशमन व्यवस्था को कियाशील करने हेतु एक विद्युत चालित तथा एक डीजल चालित फायरपम्प जिसकी क्षमता 2850 एल0पी0एम0 की हो व्यवस्था की जाये। जो प्रेशर स्विचयुक्त हो तथा एक जाकी पम्प जिसकी क्षमता 180 एल0पी0एम0 हो की व्यवस्था करायी जाये।
20. अग्निशमन व्यवस्था के संचालन हेतु अग्निशमन प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की जाये।
21. भूमि/भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से अनुमति प्राप्त करना सम्बन्धित प्रबन्धक/स्वामी का उत्तरदायित्व होगा।

अतः उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को भवन में सुनिश्चित कराये जाने की शर्त के साथ प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। भवन निर्माण के पश्चात की गयी सुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्नि शमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। भवन निर्माण में

यदि अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के नियम–4 एन0बी0सी0 2005 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में दिये गये निर्देशों का उल्लघन होता है तो जारी किया गया प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
संलग्न:मानचित्र।

(के0पी0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कानपुर।

प्रतिलिपि:–
1. मेसर्स श्री महावीर सहकारी आवास समिति लि0 ईटीसी0 निवासी 113/70 स्वरूपनगर कानपुर नगर को उपरोक्तानुसार पालन सुनिश्चित करने हेतु।
2. अग्निशमन अधिकारी फजलगंज, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।